फर्द अहकाम

नाम न्यायालय Acm-II रामावतार वगैरा बनाम लक्ष्मण वगैरा

केस संख्या Ti No. 140/2010

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14/8/18	पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से निगरानी/TA/5554/12/जयपुर दिनांक 19/07/18 के द्वारा न्यायालय को दिनांक 23/7/18 प्राप्त होकर जरैकार कार्यवाही दस्त दस्त पत्रावली में आगामी पेशी 29/8/2018 नियत होने पर जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई दिनांक 02/08/2018 को पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। मूलवाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी प्रार्थी सं. 7 का नाम मृत्यु होने पर प्रार्थी संख्या 7 का नाम मूलवाद में हजफ किया जा चुका है मूलवाद के अनुसरण में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में भी प्रार्थी नं. 7 का नाम हजफ किया जाता है। तथा नाम हजफ किया जाता है। तथा प्रार्थी नं. 7 के आगे दौराने वाद मृतक लाल स्थायी से अंकित किया जाकर प्रार्थी/वादी द्वारा मूलवाद में पेश प्रार्थना पत्र विड्रा किये जाने वाद को स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण विड्रा के खारिज	रामावतार रामकिशोर गुलाब चन्द मुकेश कैलाश चन्द अं. के रमनीदेवी Identify by Nov. 14/08/2018 (राकेश कुमार दुबेजा)

सहायक कलक्टर एवम कार्यपालक

फर्द ...

बनाम सहायक कलेक्टर, रामावतार वगैरह

नाम न्यायालय Acm-II

केस संख्या Ti No. 2010/43

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		किया जा चुका है। जब मूल्यांकन ही व्यापित हो चुका है तो पुनर्विचार पर अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का किसी प्रकार का औचित्य नहीं रह जाता अतः मूल्यांकन अनुसार प्रार्थीगण का पुनर्विचार पर अस्थाई निषेधाज्ञा विद्धि है व्यापित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उसे नंबर से कम होकर होलगन मूल्यांकन रहे। निर्णय आज दिनांक 14/8/1 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय